गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 178 /एम0पी0/2017 दिनांक : 12-5-2017

मानचित्र संख्या : 366/जोन-5/2012-13

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मैसर्स सामग कंस्ट्रक्शन लि0
अधिकृत हस्ताक्षरी श्री दिनेश पाण्डेय,
बी-67 सरिता विहार, नई दिल्ली।

महोदय,

आप द्वारा ग्राम-शाहपुर बम्हैटा मे विकसित की जा रही इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या- 2 पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग हेतु मानचित्र प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.12.16 को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वत: निरस्त मानी जायेगी।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा।
5. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
6. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
7. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
8. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
9. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
10. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 06.06.2016 का पालन करना होगा।
11. भू-स्वामित्व सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र पर दी गयी स्वीकृति स्वत: निरस्त मानी जायेगी।
12. प्रस्तावित भवन में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रू. 2,00,000/- की जमानत राशि हेतु एसिक्स बैंक की एफ0डी0आर0 खाता संख्या-917040025545688 दि0 10.03.17 प्रस्तुत की गयी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
13. इन्टीग्रेटिड टाउनशिप नीति 21.05.2005 एवं शासनादेश दि. 28.11.2006 के अनुसार योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै. सामग कन्सट्रक्शन लि. का

स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वंय कराने होगें। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रों आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यो की पूर्णता हेतु रूपये 4.75 करोड़ की बैंक गारण्टी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में डवलपमेंट एग्रीमेंट के समय प्राधिकरण में जमा की गयी है। जिसकी वैधता अवधि क्रमशः दिनांक 13.01.2018 तक है, जो आवश्यकता अनुसार बढ़वानी होगी।

14. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।

15. भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। किसी भी न्यायालय में विचाराधीन वाद से प्रभावित खसरा नम्बरों की भूमि यथावत रखी जायेगी जिस पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

16. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, वाह्य विकास/ आन्तरिक विकास का पूर्णताः प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।

17. प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड, ग्राम समाज/ सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसको यथावत रखा जायेगा अथवा उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अन्तिम रूप से समायोजित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

18. मानचित्र में प्रदर्शित विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि में से यदि किसी भूमि का दाखिल खारिज बकाया है तो उसे विकासकर्ता कम्पनी के नाम दाखिल खारिज कराकर प्रस्तुत करना होगा

19. भवन की डिजाईन व डाईग तथा स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र श्री सी0पी0 कुकरेजा एसोसिएट्स (स्ट्रक्चरल इन्जीनियर) का प्रस्तुत किया गया है। स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राईग को आई.आई.टी. दिल्ली के प्रोफेसर डा0 टी0के0 दत्ता द्वारा वैट की गयी है। तदनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। डी.पी.आर./ योजना के पुनरीक्षित तलपट मानचित्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001(आ.ब) दिनांक 03.02.01, 72/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शा.सं. 3751/9-आ-1-1- भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दि.20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-

क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्व किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त

व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रिट, ईंटें, कोर्स सैन्ड एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।

ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता /आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

ङ- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे:-

1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।

3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

4- अधिकृत आर्किटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राईग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शमिल रहेंगे।

5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।

6- साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर

7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर

20. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

21. प्रश्नगत स्थल के अन्तर्गत यदि किसी आवंटी की स्थिति परिवर्तन होती है तो उसके समायोजन के सम्बन्ध में प्राधिकरण के उत्तरदायी नही होने एवं बिल्डर के स्वयं ही जिम्मेदार होने सम्बन्धी शपथ पत्र दिनांक 31.03.17 का पालन करना होगा।

22. विकासकर्ता को समस्त ग्रुप हाउसिग भूखण्डो हेतु योजना के ले-आउट मे कुल स्वीकृत यूनिटो के अर्न्तगत ही प्रस्तावना दिये जाने के सम्बन्ध मे उसके द्वारा दी गई अण्डटेकिंग दिनांक 06.05.13 का अनुपालन करना होगा। यदि भविष्य मे विकासकर्ता द्वारा ले-आउट मे स्वीकृत यूनिट से अधिक की प्रस्तावना दी जाती है तो उस हेतु समानुपातिक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगीं।

23. भवन उपविधि-2008 के प्रस्तर 2.4.1 की क्रम संख्या 7 के अनुसार क्रीडा क्रियाओं हेतु वांछित स्थलों का प्राविधान ओपन स्पेस /ले-आउट ग्रीन में करना होगा।

24. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग / निर्माण शमनीय नहीं होगा।

25. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स-2011 का अनुपालन करना होगा।

26. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र पत्रांक- आर-115/जे.डी./फा.स.. /लखनऊ-13/(गा0बाद)/135/213 दिनांक 31.03.2017 एवं संलग्न मानचित्र में उल्लेखित शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा।

27. आर.डब्लू.ए. व बिल्डर्स के मध्य आपसी वाद विवाद की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी जिसका प्राधिकरण का कोई उत्तरदायी नहीं होगा।

28. समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अभिकल्पन व विकास का दायित्व विकासकर्ता का स्वयं का होगा। अवस्थापना सुवधिाओं का विकास/ निर्माण कार्य पी.डब्लु.डी. यू.पी.पी.सी.एल, भवन उपविधि-2008, एन. बी.सी. एवं शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्थल पर कराया जायेगा। विकास/निर्माण कार्यो एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी।

29. संदर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा उवं उसका रख-रखाव भी करना होगा।

30. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिकों हेतु शौचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्राविधान करना होगा।

31. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिको का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।

32. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जायें, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जायें एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायें। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि निर्माण सामाग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जायें।

33. बेसमेन्ट एवं भवन निर्माण के समय सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा, निर्माण के कारण स्थल पर किसी भी प्रकार की क्षति एवं दुर्घटना के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

34. आंशिक विद्युत लोड की पूर्ति हेतु सौर ऊर्जा प्लान्ट/संयत्र की स्थापना करनी होगी।

35. उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वत: निरस्त माना जायेगा।

36. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निम्न दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना होगा:-

i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.

ii. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.

iii. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.

iv. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.

v. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

vi. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.

vii. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.

viii. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.

ix. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.

x. Wind breaking walls around constructin site.

xi. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.

xii. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.

xiii. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.

xiv. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.

xv. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.

xvi. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.

xvii. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

xviii. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.

xix. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.

xx. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.

xxi. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).

xxii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वत: निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

19/5/2017

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक: /एम0पी0/2017 दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन-5 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक

01141984

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

मास्टर प्लान की चालान

आवेदक की प्रति

फ़ाइल / संदर्भ संख्या : 366-Z5-GH- 2012

मो०नं० : 9910160103

चालान संख्या : GDAPM5580

OBC , Lohia Nagar 05262191010625 IFSC Code-ORBC100526	
PNB , Ambedkar Marg 3703001100001950 IFSC Code-PUNB0370300	
PNB , Mohan Nagar 0341001100000356 IFSC Code-PUNB0034100	
Vijaya Bank , Navyug Market 711301011003105 IFSC Code-VIJ0007113	

दिनांक 06-04-2017 भूखण्ड संख्या 2864,2875

आबंटी का नाम व पता SAMAG CONST. , B-67 SARITA VIHAR NEW DELHI.

योजना का नाम SHAHPUR BAMHETA

विवरण	धनराशी
Interest निरीक्षण	9400.00
Total :	**9400**

धनराशी (शब्दों मे) **Nine Thousand Four Hundred Only**

नकद ड्राफ्ट संख्या

दिनांक

निर्गत बैंक

जमाकर्ता के हस्ताक्षर रोकडिया प्रबन्धक

Deposit alone will not accure any right to allottee/depositor/applicant

विजया बैंक / VIJAYA BANK
गाजियाबाद / GHAZIABAD
06 APR 2017
नकद प्राप्ति / CASH RECEIVED
रु० / Rs. 9400

को चुनें।

Print All

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.

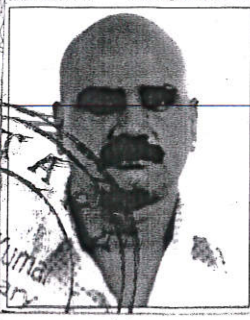

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 14AD 128490

शपथ-पत्र

समक्ष : उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

ओर से - सर्वश्री सामग कन्सट्रक्शन लि., बी-67, सरिता विहार, नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर श्री दिनेश पाण्डेय पुत्र स्व. श्री राजमुनि पाण्डेय निम्न शपथ से बयान करता हूँ -

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सब सही है तथा मानचित्र हेतु आवेदक होने के कारण तथ्यों से भली-भांति परिचित हूँ।
2. यह कि मेरे द्वारा मानचित्र संख्या-366/जोन-5/2012 एवं 2013 ग्राम शापुर बम्हेटा, एन. एच.-24 पर ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया है।
3. यह कि स्थल के पूर्व स्वीकृत/शमन के क्रम में यदि भूखण्ड/ सम्पत्तियों का अन्तरण विक्रय /विकास किया गया है एवं इस स्वीकृति से उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसका समायोजन करने का दायित्व हमारा स्वयं का होगा। प्राधिकरण का इसमें कोई दायित्व नहीं होगा।

यह कि उपरोक्त वर्णित सभी धारायें मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास में सब सत्य हैं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर मेरा साक्षी है।

प्र. स्थान : गाजियाबाद

दिनांक : 31.03.2017

शपथकर्ता

Saamag Construction Ltd.

Director

ATTESTED

LAUKESH KUMAR

Advocate & Notary, GZB.

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकःआर–115/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–13(गाजि0)/135/213 दिनांकः मार्च 31 2017,

सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषयः **मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा प्लाट नं0–02, इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हैटा जनपद गाजियाबाद उ0प्र0पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के (टावर नं0–01,02,03 एवं 04) कुल–04 टावरों के निर्माण हेतु शमन मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल कम्पाउडिंग अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडीः2017/28434/जीजैडबी/गाजियाबाद/1947/जे0डी0।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु शमन मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल कम्पाउडिंग अग्निशमम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद श्री आर0के0 यादव द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या पत्रांकःआर–11/एफएसके–2017 दिनांकः 23–03–2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा गठित कमेटी द्वारा अपनी आख्या दिनांकः 28–03–2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपलब्ध तथा उनके द्वारा परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 30–03–2017 इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई तथा समस्त आख्याओ एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत हैः–

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरणः– प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकः15–08–2013 के द्वारा प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–22,085.00 वर्ग मी0।

2–प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–7726.343 वर्ग मी0।

3–प्रस्तावित बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–16,642.33 वर्ग मी0 प्रत्येक है। जिसमे प्रस्तावित 04 अदद टावरों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क0 स0	नाम टावर	ब्लॉक की संख्या	तलों का विवरण पूर्व	वर्तमान	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या एवं चौडाई मी0।	ऊचॉई मी0। पूर्व	वर्तमान
1	टावर–01	02	बेस0+स्टिल्ट+13 तल	बेस0+स्टिल्ट+14 तल	1348.632	02 अदद 01.50/01.50	41.30	44.25
2	टावर–02	02	बेस0+स्टिल्ट+13 तल	बेस0+स्टिल्ट+14 तल	1348.632	02 अदद 01.50/01.50	41.30	44.25
3	टावर–03	01	बेस0+स्टिल्ट+13 तल	बेस0+स्टिल्ट+14 तल	674.316	02 अदद 01.50/01.50	41.30	44.25
4	टावर–04	01	बेस0+स्टिल्ट+13 तल	बेस0+स्टिल्ट+14 तल	674.316	02 अदद 01.50/01.50	41.30	44.25

भवन का अधिभोग एवं हैजार्डः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट, (एन0बी0सी0–2005 की ए–4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुॅच मार्गः–प्रश्नगत भवन के सामने 24.00 मीटर चौडा रोड प्रर्दशित है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई 06.00 मीटर प्रर्दशित है।

3–सैटबैकः– प्रस्तावित भवन के सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–13.00 मीटर।

बी–पृष्ठभाग–13.00 मीटर।

सी–पार्श्व प्रथम–13.00 मीटर।

डी–पार्श्व द्वितीय–13.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैक भवन विनियावमली 2008 यथा संशोधित–2011 के अनुसार है। भवन के चारो ओर अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओ हेतु 06.00 मीटर चौडाई का हार्ड सरफेस युक्त मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जायेगा। इसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

4–निकास मार्गः–प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर स्टेयर की चौडाई मानचित्र मे प्रर्दशित चौडाई से कम नही होनी चाहिये। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयर पर 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

5–रिफ्यूज एरिया:– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– प्रश्नगत भवनों मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना प्राविधानित है।

1–होजरील / डाउनकमर:– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

2–भूमिगत टैंक:–प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

3–पम्पस:– प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन विद्युत चालित फायर पम्प, (स्प्रिंकलर एवं हाईड्रेन्टस) इतनी ही क्षमता 01 अदद डीजल पम्प, एवं 01 अदद जौकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है। जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

4–टेरिस टैंक:–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टस:– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधानित है।

10–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम/मैकेनिकल वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

11–एग्जिट साईनेज:– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

12–पी0ए0 सिस्टम:– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–कम्पार्टमेन्टेशन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

14–प्रेशराईजेशन:– प्रश्नगत भवन मे आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन **एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.10 से 4.10.7** के निर्देशानुसार किया जायेगा।

15–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

17–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अत: उपरोक्तानुसार उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा प्लाट नं0–02, इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हैटा जनपद गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के (टावर नं0–01,02,03 एवं 04) कुल–04 टावरों हेतु शमन मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल कम्पाउडिंग अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वत: ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

3/13

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि: 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।
3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।
4–मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा प्लाट नं0–02, इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हैटा जनपद गाजियाबाद को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।

सेवा में,

दिनांक 18/03/2017

सहायक अभियंता (मास्टर प्लान)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषयः– ग्राम शाहपुर बम्हैटा में विकास की जा रही इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अर्न्तगत भूखण्ड संख्या जी0एच0 – 2 के विस्तार हेतु प्रस्तावित मानचित्र संख्या– 366/जोन–5/2012–13 दिनांक 29.09.2012 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयांक के सम्बन्ध में पत्रांक संख्या 249/मा0 प्लान/2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

1. प्लान फीस रुपया 69,200/– व निरीक्षण शुल्क रुपया 1,83,100/– प्राधिकरण कोष में जमा करा दिया गया है। छायाप्रति संदर्भ के लिए संलग्न है।
2. लेबर सेस रुपया 2,58,450/– का ड्राफ्ट यू0 पी0 एण्ड अदर कन्स0 वेलफेयर बोर्ड के नाम जमा करा दिया गया है। रसीद की कॉपी पत्र के साथ संलग्न है।
3. रूफ रेन वाटर हारवेस्टींग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रुपया 2,00,000/– की जमानत राशि एफ0 डी0 रूप में पत्र के साथ संलग्न है।
4. नोट कर लिया है।
5. ''
6. ''
7. ''
8. ''
9. ''
10. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धित स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राईग आई0आई0टी0 से वैट करा दी गई है। जो कि पत्र के साथ संलग्न है।
11. नोट कर लिया गया है।
12. ''
13. ''
14. ''
15. ''
16. ''
17. अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक मानचित्र अग्नि शमन विभाग में जमा करा दिए गए है। जो कि विभाग से वांछित है।

– 2 –

Regd Office:
B-67, Sarita Vihar,
New Delhi-110076
Ph: +91-11-26952110
Fax: +91-11-26952114

SAAMAG HOUSE
B-72, Sector-57, Noida-201301, UP, INDIA
Ph: +91 120 4711199, +91 120 471 1111
Fax: +91 120 4711100, +91 1204711122
E-mail: info@saamag.com
website: www.saamag.com

ISO 9001:2008
SAAMAG CONSTRUCTION LTD
Building Heaven on earth

18. नोट कर लिया गया है।
19. ,,
20. ,,
21. ,,
22. ,,
23. ,,
24. ,,
25. ,,
26. ,,
27. ,,

जैसा कि उपरोक्त पत्र में इंगित सभी औपचारिकताए पूर्ण कर ली गयी है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उचित कार्यवाही करते हुए स्वीकृत मानचित्र निर्गत करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

कृत्ते सामग कंस्ट्रक्शन लि0

(डायरेक्टर)

AXIS BANK

AXIS BANK East of Kailash, Delhi BRANCH (0593),
D-70 A East Of Kailash New Delhi Delhi 110065
CONTACT NO :- Tel No .01146500495/96/97,
Mobile No.:- 9582805932

AXIS BANK LIMITED
EAST OF KAILASH, NEW DELHI [DL
D-70 A,
EAST OF KAILASH
NEW DELHI 110065

RECEIVED FROM
SARE FACILITY SERVICES PVT LTD A/c Vice Chairman Ghaziabad Development Authority a/c. Saamaj Construction Ltd.
815 816 INTERNATIONAL TRADETOWER NEHRU PLACE
.
NEW DELHI
Pin-110019 (593)

ACCOUNT NUMBER	AMOUNT (INR)	INT% (P.A)	START DATE	MATURITY DATE	MATURITY AMT (INR)
917040025545688	2,00,000.00	6.75	10-03-2017	11-03-2019	2,28,692.00

Deposit Amount : Two Lakh only.

Maturity Amount: Two Lakh Twenty Eight Thousand Six Hundred Ninety Two only.

Scheme Code : RIC - TERM DEPOSIT - RIC

LODGED WITH OUR
EAST OF KAILASH, NEW DELHI [DL]
Sch.Code for Renewal:RIC
Period of Renewal:24month(s)

Customer Id :837584864
PAN Number :AADCD3065A
Period of Deposit:24 month(s)/1 day(s)
Mode of Operation:AS AUTH.BY BOARD RESOLUTN
Nomination Status:Nominee not registered with bank

EFFECTIVE RETURN:7.163372% p.a.

NOTE: This advise should be preserved
-> Premature Closure will attract penal rates as per Bank rules.
-> Maturity value is subject to TDS deduction, wherever applicable.
-> Facility of renewal with retrospective effect not available to deposit that have been overdue beyond fourteen days.
-> This is a computer generated statement hence do not require the signature.

Inclusion of FD clause as below
Please note that premature withdrawal will not be permissible under
Fixed Deposit Plus.
For details, please refer to www.axisbank.com.

AXIS BANK LTD. D-70A, East of Kailash, New Delhi-65

http://finacleecdc.axisb.com:5080/finbranch/arjspmorph/INFENG/tran_rpt.jsp?isPrntReqd... 3/10/2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
मास्टर प्लान की चालान

आवेदक की प्रति

फाइल संदर्भ संख्या : 366-Z5-GH- 2012

लो०न० : 9910160103

चालान संख्या : GDAPM59216

OBC , Lohia Nagar	052621910[illegible]625
PNB , Ambedkar Marg	[illegible]01950
PNB , Mohan Nagar	[illegible]000100490356
Vijaya Bank , [illegible] Market	711301[illegible]05105

दिनाक 14-03-2017 [illegible] संख्या 2864.2875

आबटी का नाम व पता SAMAG CONST. , B-67 SARITA VIHAR NEW DELHI

योजना का नाम SHAHPUR BAMHETA

विवरण	धनराशि
Inspection Charges	183100.00
Plan Fee	69200.00
Total :	**252300**

धनराशि (शब्दों मे) Two Lakh Fifty Two Thousand Three Hundred Only

नकद ड्राफ्ट संख्या 017706

दिनांक 017707

निर्गत बैंक AXIS Bank

10/3/17

जमाकर्ता के हस्ताक्षर रोकड़िया प्रबन्धक

Deposit alone will not accure any right to allottee/depositor/applicant

विजया बैंक / Vijaya Bank, नवयुग मार्किट, गाजियाबाद/Navyug Mkt. Ghaziabad

14 MAR 2017

Ph No: 27[illegible] DELHI CLEARING 110-029-0[illegible]

र को चुनें।

Print All

SVH

SVM

AXIS BANK LTD ISSUING BRANCH

IFS CODE - UTIB0000593 A/C PAYEE ONLY

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE DATE दिनांक 10032017 (D D M M Y Y Y Y)

EAST OF KAILASH, NEW DELHI [DL 593

ON DEMAND PAY माँगे जाने पर VICE CHAIRMAN GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY OR ORDER / या उनके आदेश प

RUPEES रुपये Sixty Nine Thousand Two Hundred only

अदा करें ₹ ***********69,200.00

FOR VALUE RECEIVED

OT TT TL CC

DD Sr. No. 17707

VOID

593012100105

Payee BANK AND BRANCH अदा करता बैंक और शाखा

CODE NO.

AUTHORISED SIGNATORY प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

AUTHORISED SIGNATORY प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

Please sign above

9 8 7 6 5 4 3 2 1

⑈017707⑈ 110211051⑆ 16

AXIS BANK LTD ISSUING BRANCH

IFS CODE - UTIB0000593 A/C PAYEE ONLY

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE DATE दिनांक 10032017 (D D M M Y Y Y Y)

EAST OF KAILASH, NEW DELHI [DL 593

ON DEMAND PAY माँगे जाने पर VICE CHAIRMAN GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY OR ORDER / या उनके आदेश पर

RUPEES रुपये One Lakh Eighty Three Thousand One Hundred only

अदा करें ₹ *********1,83,100.00

FOR VALUE RECEIVED

OT TT TL CC

DD Sr. No. 17706

VOID

593012100105

Payee BANK AND BRANCH अदा करता बैंक और शाखा

CODE NO.

AUTHORISED SIGNATORY प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

AUTHORISED SIGNATORY प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

Please sign above

9 8 7 6 5 4 3 2

⑈017706⑈ 110211051⑆ 16

AXIS BANK LTD ISSUING BRANCH

IFS CODE - UTIB0000593 A/C PAYEE ONLY

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE DATE दिनांक 10032017 (D D M M Y Y Y Y)

EAST OF KAILASH, NEW DELHI [DL 593

ON DEMAND PAY माँगे जाने पर U.P. BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD OR ORDER / या उनके आदेश पर

RUPEES रुपये Two Lakh Fifty Eight Thousand Four Hundred Fifty only

अदा करें ₹ *********2,58,450.00

FOR VALUE RECEIVED

OT TT OL CC

DD Sr. No. 17710

VOID

593012100105

Payee BANK AND BRANCH अदा करता बैंक और शाखा

CODE NO.

AUTHORISED SIGNATORY प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

AUTHORISED SIGNATORY प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

Please sign above

9 8 7 6 5 4 3 1

⑈017710⑈ 110211051⑆ 16

Dr. T. K. Datta FNAE
Emeritus Professor

Indian Institute of Technology Delhi
Department of Civil Engineering
Hauz Khas, New Delhi-110016 (India)
Phone : +91 11 2659 1184 (O), +91 11 2685 5960 (R)
Mobile : +91 11 98185 82445, Fax : +91 11 2658 1117
Email : tushar_k_datta@yahoo.com, tkdatta@civil.iitd.ac.in

Date 20.3.14

Sub: - Proof checking of structural design and drawing for Proposed Group Housing project - Springview Heights at Saga Crescent Parc, at village Shahpur Bamheta, Ghaziabad, U.P.

Dear Sir,

It is certified herewith that the structure design and drawing for the proposed group housing Project Springview Heights at Saga Crescent Parc at Village Shahpur Bamheta, Ghaziabad, U.P. have been checked and found to be confirming to the recommendation of the relevant codes of practice as per the latest Indian Standard. All the stipulated combination of gravity load and the relevant lateral loan (Wind/Earthquake) have been consider and duly incorporated in the design. Structure drawing has been checked both for design as well as detailing.

Thanking You

Approved

Dr. T. K. Datta
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology, Delhi
Hauz Khas, New Delhi-110016

...K. Datta
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology, Delhi
Hauz Khas, New Delhi-1100..

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांकः 250 /मा0प्लान/16 दिनाक : 30-12-2016

सेवा में,

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
पुलिस फायर स्टेशन,
सै0–1, वैशाली, निकट पुष्पांजलि हास्पटिल
गाजियाबाद।

विषय : मानचित्र सं0 366/जोन–5/2012–13 दिनांक 27.09.12 पर अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मै. सामग कन्सट्रक्शन लि0 द्वारा ग्राम–शाहपुर बम्हैटा स्थित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के भूखण्ड संख्या जी.एच.–2 पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवनो का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मानचित्रों पर अंकित अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित उपायों का अवलोकन कर पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्दर आपत्ति/अनापत्ति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि समयान्तर्गत मानचित्र निर्गत की कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नकः

1. प्रपत्र–च
2. मानचित्र की 2 प्रतियां।

भवदीय

(ज्योति प्रसाद)
नगर नियोजक

पृ.सं0 : दिनांक

प्रतिलिपिः मै. सामग कन्सट्रक्शन लि0, बी–67, सरिता विहार, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर नियोजक

नामनिर्दि

नाम कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्रा

भूखण्ड संख्या एवं योजना का पूरा पता एवं विवरण	भूखण्ड पर स्वामित्व का विवरण, पूर्ण पते सहित
1	2
भूखण्ड सं0– जी.एच–2 ग्राम–शाहपुर बम्हैटा, गाजियाबाद।	मै. सामग कन्सट्रक्शन लि के अधिकृत हस्ताक्षरी श्री दिनेश पाण्डेय, बी–67, सरिता विहार, न दिल्ली

1– अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

प्रेषक ,

सहायक अभियन्ता,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

मै0 सामग कंस्ट्रक्शन लि0,
अधिकृत हस्ताक्षरी श्री दिनेश पाण्डेय,
बी–67, सरिता विहार, नई दिल्ली।

संख्या 249/M.P/2016

दिनांक 30-12-2016

विषय :– ग्राम शाहपुर बम्हैटा में विकसित की जा रही इन्टीग्रेटड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या– जी.एच.–2 के विस्तार हेतु प्रस्तावित मानचित्र सं0 366/जोन–5/2012–13 दि0 27.09.12 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा ग्राम शाहपुर बम्हैटा में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या– जी.एच.–2 के विस्तार हेतु आरक्षित भूखण्ड पर प्रस्तावित संशोधित ग्रुप हाउसिंग के निर्माण की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.12.16 को निम्न शर्तों के आधीन प्रदान की गयी है:-

1. प्लान फीस रू0 69,200.00 व निरीक्षण शुल्क रू. 1,83,100.00 प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
2. भवन की कुल निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस की मद में यू.पी.बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स. वेलफेयर बोर्ड के खाता संख्या 50034297206, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ, में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। जिसकी 20% धनराशि रूपये 2,58,450/– का ड्राफ्ट मानचित्र स्वीकृति के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रस्तावित भवन में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रू. 2,00,000/– की जमानत राशि जमा करायी जानी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
4. इन्टीग्रेटिड टाउनशिप नीति 21.05.2005 एवं शासनादेश दि. 28.11.2006 के अनुसार योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै. सामग कन्सट्रक्शन लि. का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वंय कराने होगें। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा–बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रों आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।

   इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यो की पूर्णता हेतु रूपये 4.75 करोड़ की बैंक गारण्टी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में डवलपमेंट एग्रीमेंट के समय प्राधिकरण में जमा की गयी है। जिसकी वैधता अवधि क्रमशः दिनांक 13.01.2017 तक है, जो आवश्यकता अनुसार बढ़वानी होगी।
5. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।

6. भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। किसी भी न्यायालय में विचाराधीन वाद से प्रभावित खसरा नम्बरों की भूमि यथावत रखी जायेगी जिस पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

7. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, वाह्य विकास/ आन्तरिक विकास का पूर्णताः प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।

8. प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड, ग्राम समाज/ सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसको यथावत रखा जायेगा अथवा उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अन्तिम रूप से समायोजित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

9. मानचित्र में प्रदर्शित विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि में से यदि किसी भूमि का दाखिल खारिज बकाया है तो उसे विकासकर्ता कम्पनी के नाम दाखिल खारिज कराकर प्रस्तुत करना होगा

10. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राईग आई.आई.टी. से वैट कराकर प्रस्तुत करनी होगी तदनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। डी.पी.आर./ योजना के पुनरीक्षित तलपट मानचित्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001(आ.ब) दिनांक 03.02.01, 72/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शा.सं. 3751/9-आ -1-1-भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दि.20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-

क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्व किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रिट, ईटें, कोर्स सैन्ड एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।

ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता /आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

ड- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे:-

1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।

3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

4- अधिकृत आर्किटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राईग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शमिल रहेंगे।

5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।

6- साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर

7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर

11. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

12. पूर्व स्वीकृत/शमन के क्रम में यदि विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड/सम्पत्तियों का अन्तरण/ विक्रय/विकास किया गया है एवं इस स्वीकृति से उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका समायोजन विकासकर्ता को करना होगा, प्राधिकरण का इसमें कोई दायित्व नही होगा तथा प्रभावित फ्लैट विक्रय न करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र अथवा आवंटियो से अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

13. विकासकर्ता को समस्त ग्रुप हाउसिग भूखण्डो हेतु योजना के ले-आउट मे कुल स्वीकृत यूनिटो के अर्न्तगत ही प्रस्तावना दिये जाने के सम्बन्ध मे उसके द्वारा दी गई अण्डटेकिंग दिनांक 06.05.13 का अनुपालन करना होगा। यदि भविष्य मे विकासकर्ता द्वारा ले-आउट मे स्वीकृत यूनिट से अधिक की प्रस्तावना दी जाती है तो उस हेतु समानुपातिक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगीं।

14. भवन उपविधि-2008 के प्रस्तर 2.4.1 की क्रम संख्या 7 के अनुसार क्रीडा क्रियाओं हेतु वांछित स्थलों का प्राविधान ओपन स्पेस /ले-आउट ग्रीन में करना होगा।

15. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग / निर्माण शमनीय नहीं होगा।

16. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स-2011 का अनुपालन करना होगा।

17. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

18. आर.डब्लू.ए. व बिल्डर्स के मध्य आपसी वाद विवाद की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी जिसका प्राधिकरण का कोई उत्तरदायी नहीं होगा।

19. समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अभिकल्पन व विकास का दायित्व विकासकर्ता का स्वयं का होगा। अवस्थापना सुवधिाओं का विकास/ निर्माण कार्य पी.डब्लु.डी. यू.पी.पी.सी.एल, भवन

उपविधि-2008, एन.बी.सी. एवं शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्थल पर कराया जायेगा। विकास/निर्माण कार्यों एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी।

20. संदर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा उवं उसका रख-रखाव भी करना होगा।
21. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिकों हेतु शौचालय आदि जनसुविधााओं का पर्यावरण के अनुकूल प्राविधान करना होगा।
22. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना होगा।
23. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिको का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।
24. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जायें, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जायें एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायें। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि निर्माण सामाग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जायें।
25. बेसमेन्ट एवं भवन निर्माण के समय सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा, निर्माण के कारण स्थल पर किसी भी प्रकार की क्षति एवं दुर्घटना के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
26. आंशिक विद्युत लोड की पूर्ति हेतु सौर ऊर्जा प्लान्ट/संयत्र की स्थापना करनी होगी।
27. उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वत: निरस्त माना जायेगा।

उपरोक्त शुल्क जमा कराने एवं शर्तें/औपचारिकताएं पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर पूर्ण कराने का कष्ट करे। अन्यथा शुल्क ब्याज सहित जमा कराने होगें।

भवदीय

सहायक अभियन्ता
मास्टर प्लान

To,

Date: -11-02-16

The AE (Master Plan)

Ghaziabad Development Authority,

Ghaziabad

Subject: Submission of revised drawing for Group Housing Pocket – 2 of Saga City, Village Shahpur, Bamheta NH – 24 Ghaziabad (Uttar Pradesh)

Dear Sir,

Please find attached 2 sets of plans of the Group Housing Pocket – 2 of project "Saga City Village Shahpur Bamheta, NH-24, Ghaziabad (Uttar Pradesh)

Submitted for your kind approval please.

Kindly acknowledge the receipt

Thanking You,

For Saamag Construction Limited

Director

Saamag Construction Limited

Director

11-02-2016

Regd. Office :
B-67, Sarita Vihar,
New Delhi - 110 076
Ph: +91-11-26952110
Fax : +91-11-26952114

SAAMAG HOUSE
B-72, Sector-57, NOIDA - 201 301, UP, INDIA
Ph: +91 120 471 1111, 435 6666
Fax: +91 120 471 1100/22
E-mail: info@saamag.com
website : www.saamag.com

SAAMAG CONSTRUCTION LTD
Building haven on earth